न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 28/2019 GCMS NO 2019/00051

केसरा पुत्र रामचन्द्र जाति रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. गुजरया पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
3. रामनिवास पुत्र घूडया
4. रामजीलाल पुत्र घूडया
5. नवल किशोर पुत्र रामभरोसी
6. सुगनलाल रामभरोसी जातियान रैगर निवासीयान हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
7. शाखा प्रबंधक इलाहबाद बैक गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 20/2017 निर्णय व डिकी दिनांक 7.2.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री प्रेमप्रकाश जोशी

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 27.11.24

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 7.2.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा एक वाद पत्र धारा अन्तर्गत 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 614 रकबा 1.55 है0 ग्राम हबीबपुर केसरया पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/3 राहिन इलाहबाद बैक शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहीन , रामनिवास पुत्र घूडया हिस्सा 1/3 , रामजीलाल ,नवल किशोर,सुगनलाल पिसरान रामभरोसी हिस्सा 1/3 जाति रैगर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध मे प्रतिवादी केसरया पुत्र रामचन्द्र रैगर द्वारा विकय पत्र दिनांक 6.5. 02 को गुजरया पुत्र नारायण जाति गुर्जर के पक्ष मे तहरीर करने के कारण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 का उल्लंघन हुआ है। उक्त भूमि के संबंध मे न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 आर टी एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 2/16 उनवानी गुजरया बनाम केसरया दर्ज किया गया। जिसका निर्णय दिनांक 22.3.17 को पारित किया गया। जिसकी पालना मे यह वाद प[illegible] एक्ट प्रस्तुत किया गया है। भूमि ख0न0 614 रकबा 1.55 है0 ग्राम हबीबपुर के संबंध मे [illegible] 6.5.02 को तहरीर किये विकय पत्र के कारण धारा 42 का उल्लंघन है। इस प्रकार [illegible] भूमि को सिवायचक दर्ज की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय मे पेश आने पर अधिनस्थ [illegible] द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वादी/रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय मे पेश की है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि ख0न0 614 रकबा 1.55 है0 के 1/3 हिस्से को अपीलांट गुजरया पुत्र नारायण गुर्जर को विक्रय कर देने के कारण धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए विक्रय की गई भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है जबकि अपीलांट द्वारा न तो अपनी भूमि किसी को विक्रय नही की है और ना ही कब्जा संभलवाया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही होने के उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा ग्राम हबीबपुर गुर्जर बाहुल्य गांव है प्रार्थी/अपीलांट का अकेला घर है। गुजरया प्रार्थी को गंगापुर सिटी लोन दिलाने के लिए आया था प्रार्थी अपीलांट अनपढ है जिसके सादा कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये गये। प्रार्थी अपीलांट को अपने खेतो मे उगी फसल को नष्ट करने की धमकी दी तब प्रार्थी अपीलांट ने एक दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। जिसमे एक फर्जी स्टाम्प सादा कागजो पर तैयार करवाकर प्रतिवादी गुर्जरमल ने पेश किया तब प्रार्थी अपीलांट ने गुर्जरमल के खिलाफ फर्जकारी की रिपोर्ट पेश की जिसका मुकदमा न्यायालय मे विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय ने खातेदार को उसके हक अधिकारो से बंचित किया है। जबकि अपीलांट को उस भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त है। धारा 42 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य की भूमि पर सामान्य जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। चाहे वह अन्तरण स्वींकृति से हुआ हो। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे की अपीलांट द्वारा अपनी कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि का अन्तरण गुजरया के पक्ष मे किया हो। गुजरया येन केन अपीलांट की भूमि को हडपना चाहता है। इसलिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त कार्यवाही अपीलांट के विरूद्व की गई है। बंटवारे का दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। तथा फर्जकारी का मुकदमा गुजरया के विरूद्व न्यायालय मे विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट की खातेदारी की भूमि को यथावत रखते हुए राजस्व रिकार्ड मे यथावत अपीलांट को बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि भूमि ख0न0 614 रकबा 1.55 है0 मे से 1/3 हिस्सा जरिये इकरार नामा दिनांक [illegible] खरीदा है तभी से निर्विवाद भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट के कुछ लोगो के बहक[illegible] धारा 183 सी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया है। जिसे त[illegible] होने के बाद प्रार्थना पत्र खारिज किया है। भूमि पर कब्जा आज भी गुजरया का माना गया है। अपीलांट द्वारा जो विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तहरीर किया है वह धारा 42 टीनेन्सी एक्ट का उल्लंघन है। इसी कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए भूमि ख0न0 614 रकबा 1.55 है0 ग्राम हबीबपुर मे अपीलांट केसरा पुत्र रामचन्द्र जाति रैगर के 1/3 हिस्से की भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है जो विधि के अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि ख0न0 614 रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम हबीबपुर की खातेदारी केसरया पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/3 राहिन इलाहबाद बैक शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहीन , रामनिवास पुत्र घूडया हिस्सा 1/3 , रामजीलाल ,नवल किशोर,सुगनलाल पिसरान रामभरोसी हिस्सा 1/3 जाति रैगर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त भूमि को केसरया पुत्र रामचन्द्र रैगर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 6.5.02 को गुजरया पुत्र नारायण जाति गुर्जर के पक्ष मे तहरीर करने के कारण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि जो विक्रय पत्र से तहरीर की गई थी उसे केसरा पुत्र रामचन्द्रा का हिस्सा 1/3 को सिवायचक दर्ज किया गया है। धारा 42 टीनेन्सी एक्ट के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि को क्रय किये जाने पर भी उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन होने से ही अपीलांट केसरा की खातेदारी की आराजीयात हिस्सा 1/3 को सिवायचक दर्ज किया गया है। जो विधि अनुरूप है। भविष्य मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि का अन्य वर्ग के व्यक्ति को बेचान के प्रकरणो मे भूमि कब्जे राज मे ली जाने की कार्यवाही की जावे तथा उसी वर्ग के भूमिहीन कृषक जिसके पास किसी प्रकार को आजिविका का साधन नही हो ऐसे व्यक्ति को भूमि नियमानुसार आवंटन किये जाने के प्रस्ताव आवंटन सलाहकार समिति को प्रेषित किये जावे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य है। विवादित आराजीयात के संबंध मे उभयपक्ष कारान के मध्य आपस मे फौजदारी मुकदमे नही हो तथा शांति भंग होने की स्थिति उत्पन्न नही हो। विवादित आराजीयात ख0न0 614 रकबा 1.55 है0 मे केसरा पुत्र रामचन्द्र रैगर का हिस्सा 1/3 भूमि जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए सिवायचक घोषित की गई है। जो विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतःअपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 20/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner